


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामराय बनाम श्री गोवर्धन लाल शर्मा एसडीओ रामगढ पचवारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मु.न. 59/2018</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>01.08.2018</p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली बइंतजार तामील एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की टिप्पणी हेतु नियत है। किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री गोवर्धन लाल शर्मा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचास्थीन मुकदमा वाद मु.न. 06/2015 उनवान रामराय बनाम भौरीलाल वगैरा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामराय बनाम भौरीलाल वगैरा मु.न. 06/2016 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> अति० जिला कलक्टर दौसा</p>	

